XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक अपील 440–पीबीआर/15

जिला–ग्वा.

स्थान तथा दिनांक	(कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आ के हस्ताक्षर
14–5–15	अपीलार्थी ने यह अपील आवकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 10–2–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की है । अपीलार्थी को साल 13–14 के लिये आबकारी अधिनियम के अंतर्गत एफएल–3 का लायसेन्स स्वीकृत था, अपीलार्थी ने आगामी साल 14–15 के लिये दिनांक 25–3–14 को नवीनीकरण हेतु समस्त औपचारिकता की पूर्ति करते हुये आवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था, परन्तु उसका आवेदन दिनांक 30–5–14 को कलेक्टर आबकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, जिसकी सूचना अपीलार्थी को 29–8–14 को सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा दी गई । उक्त सूचना के आधार पर अपीलार्थी ने कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आबकारी आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे आबकारी आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 10–2–15 द्वारा निरस्त किया है । अपीलार्थी का तर्क है कि उसने वर्ष 2013–14 की लायसेन्स अवधि समाप्त हाने के पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया था तथा आवश्यक शुल्क भी जमा कर दिया था, जबकि आबकारी अधिकारियों द्वारा नवीनीकरण की अनुशंसा भी कर दी गई थी परन्तु नवीनीकरण नहीं किया गया एवं आवेदन को लंबित रखा गया । उनका कहना है कि दिनांक 1–4–14 से नये वर्ष की अवधि प्रारभ्भ हो जाती है तब आवेदन की समस्व औपचारिकता पूरी कर दी गई थी तब आवेदन को लंबित रखने का कोई औचिन्य नहीं था आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित रखा गया एवं दिनांक 26–4–14 करे असत्य आधारों पर अपीलार्थी के यहां होटल में निरीक्षण किया जाना दर्शाते हुये एवं उस निरीक्षण को आधार बनाकर अपीलार्थी का आवेदन निरस्त किया गया है । उनका यह भी कहना हैं कि यह कार्यवाही दुर्भावनावश निर्मित की गई, जिसमें किसी सोनू शिवहरे नाम के व्यक्ति के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34	

के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है । अपीलार्थी का कहना है कि सोनू शिवहरे से उसका कोई संबंध नहीं हैं और न ही कभी अपीलार्थी के यहां काम पर रहा है । उनका तर्क है कि जब तक कोई अपराध सिद्ध न हो तब तक मात्र प्रकरण दर्ज होने के आधार पर किसी को दण्डित नहीं किया जा सकता । अतः अपीलार्थी का आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य था । इन्हीं आधारों पर यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपीलार्थी का तर्क है कि उसने अब इस वर्ष अर्थात 2015–16 के लिये अपने लायसेंन्स को निरन्तर रखने एवं नवीनीकरण किये जाने के लिये भी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया है । परन्तु उस पर भी उपरोक्त कारणों से कोई विचार नहीं किया जा रहा है । अधिकारियों से संपर्क करने पर अपीलार्थी को यही बताया गया कि आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत न्यायालय में प्रकरण लंबित हैं ।

प्रकरण का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी ने वर्ष 2014–15 की अवधि के लिये नवीनीकरण का आवेदन दिया था । यह अवधि दिनांक 31–3–15 को समाप्त हो चुकी है । अतः अब उक्त अवधि के लिये नवीनीकरण के आदेश देने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । इस सीमा तक यह अपील व्यर्थ हो चुकी है ।

न्याय का सहज सिद्धान्त है कि जब तक किसी न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं मान लिया जाता तब तक उसे दोषी मानकर उसके विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती है और न ही उसे उसके अधिकारों से वंचित किया जा सकता है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं अपीलार्थी के विरूद्ध न तो कोई आरोप है और न ही उसके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है ।

इन परिस्थितियों में यह आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 15–16 के लिये दिये गये एफएल–3 लायसेन्स आवेदन पर सदभावना पूर्वक विचार करते हुये न्यायेचित आदेश पारित किया जाये । अपीलार्थी द्वारा वर्ष 13–14 के लिये जमा लायसेन्स फीस को वर्ष 15–16 के लिये समायोजित करते हुये आवेदन का निराकरण 15 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से किया जाये, क्योंकि एक माह से अधिक की अवधि व्यतीत हो चुकी है । इन निर्देशों के साथ यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है ।

सदस्य

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक A-440/PBR/2015 अपील

चतुर्भुज गुप्ता पुत्र अन्तुराम गुप्ता

प्रोपराईटर होटल भगवती नई सडक, लश्कर

ग्वालियर

--- अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन --- प्रत्यर्थी

आबकार ी आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा अपील प्रकरण कमांक आर.ई.सी. 39/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 10–2–2015 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा– 62 (1) (ग) के अंतर्गत निर्मित अपील, पुनरीक्षण तथापुनरविलोकन नियम–2 (स).

महोदय,

अपीलार्थी निम्नलिखित आधारों पर अपील प्रस्तुत करता है:–

प्रकरण के तथ्य:–

1. यह कि,अपीलार्थी होटल व्यवसायी है एवं अपीलार्थी के नाम पर नई सडक ग्वालियर स्थित होटल भगवती के लिये होटल बार, एफ.एल. तौन लायसेन्स मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1903 के अन्तर्गत साल 2013–14 के लिये स्वीकृत था.
2. यह कि, अपीलार्थी ने आगामी साल 2014–15 के लिये लायसेन्स के नवीनीकरण/ पुनः स्वीकृति हेतु दिनांक 25–3–2014 को आवश्यक शुल्क जमा करते हूए आवेदन प्रस्तुत किया, जो आबकारी विभाग के अनुसार दिनांक 31–3–2014 को प्रस्तुत किया जाना दर्शाया गया है.
3. यह कि, अपीलार्थी के पुनः स्वीकृति आवेदन पर विभागीय अधिकारियों द्वारा पुनः स्वीकृति की अनुशसा की गयी.परन्तु अपीलार्थी का आवेदन अस्वीकार कर दिये जाने का सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित आदेश प्राप्त होने पर अपीलार्थी ने आबकारी आयुक्त के समक्ष